नं० 63/2024 सन् 2024

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब पेश किया गया। शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 2 व 3 बावजूद Regd. डाक नोटिस तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्ष बहस सुनी गयी। वास्ते आदेश दि. 19/7/24 को पेश हो।	
	उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
[illegible]	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.नं. 274 से बेदखल नहीं करने तथा संयुक्त सर्वे के दौरान तय किये गये सीमा चिन्हों को यथावत रखने उसके किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने तथा मौके पर राजस्व नक्शा ट्रेस के मुताबिक खसरा की भूमि ख.नं. 273 सम्पूर्ण सीमाज्ञान करवाये बिना मौके पर कोई कार्यवाही नहीं करने हेतु	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थी सं. 1 के जवाब पेश कर निवेदन किया कि ख.नं. 274 रकबा 1.29 हैक्ट. वाके ग्राम बड़ाबास जो कि वादी द्वारा ख्वातेदारी बताई गयी है। हाल राजस्व रिकार्ड में उक्त ख.नं. खातेदारी के रूप में दर्ज है। परन्तु उक्त ख.नं. का लगभग 1/4 हिस्सा वन बन्दोबस्त रिकार्ड वनखण्ड कांडीकुई प्लोटेशन संख्या 1957-60 के अनुसार आरक्षित वन भूमि है जिसका वन बन्दोबस्त खसरा नक्शे में लाल स्याही से तरमीम की हुई है। उक्त वनखण्ड का राजस्थान राजपत्र में गजट नोटिफिकेशन दि० 28.03.1966 से जारी किया जा चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय दि० 12-12-1996 के अनुसार राजस्व अथवा वन किसी भी रिकार्ड में वन भूमि है वह वन भूमि ही मानी जायेगी। राजस्व विभाग द्वारा सेटलमेंट के समय कु संक्रियाओं के दौरान खसरे की सीमाओं के काट-छांट कर वादीगण को लाभ पहुंचाने हेतु वन भूमि में तरमीम की गयी है। वादी द्वारा 18-11-22 को उक्त सर्वे का हवाला दिया गया है। उक्त सर्वे के दौरान राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदारी व वन भूमि के साथ-2 वन बन्दोबस्त रिकार्ड मुताबिक भी वन भूमि का सर्वे किया गया था। उक्त सर्वे के उपरान्त वनखण्ड कान्डीकुई फ्लान्टेशन सं. 1957-60 के पिलर नं. 65 व 66 की स्थिति मौके पर कायम की गयी स्थिति अनुसार खसरा नं. 274 की भूमि का लगभग 1/4 हिस्सा वन भूमि में पड़ता है। ख.नं. 273 का सीमाज्ञान दि० 18-11-2022 से पूर्व ही किया जा चुका है जिस पर वादी के हस्ताक्षर हैं।

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...लत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

.... बनाम ....

...कदमा .... नं० .... सन् ....

...ख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र व जवाब प्रा०पत्र के अवलोकन के आधार पर यह तथ्य प्रकट होता है कि ख-नं. 274 का लगभग 1/4 हिस्सा वन बंदोबस्त रिकार्ड वनखण्ड बांदीकुई प्लांटेशन संख्या 1957-60 के अनुसार रक्षित वन भूमि है जिसका राजस्थान राजपत्र में गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय दि० 12-12-1996 के अनुसार राजस्व अथवा वन विभाग की रिकार्ड में वन भूमि है। वह वन भूमि ही मानी जायेगी। तथा खसरा नं. 273 की सीमा का सीमाज्ञान पूर्व में ही किया जा चुका है जिसके आधार पर अप्रार्थीगण को जो अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

Scanned with OKEN Scanner